न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 10 / 2016 / बाड़मेर

अपीलांट

1. लीलाधर पुत्र श्री सांगीदास जाति जेठा माहेश्वरी निवासी जेठा पाड़ा, जैसलमेर
2. श्रीमती कलावती धर्म पत्नी श्री मोहनलाल जाति सांवल मोहश्वरी निवासी गौशाला के पीछे, बाड़मेर
3. श्रीमती चन्द्रकला धर्म पत्नी श्री जुगल किशोर जाति मोहश्वरी निवासी दोहिती स्व0 सांगीदास जी ठिकाना चाचा पाड़ा जैसलमेर हाल चेन्नई।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.प्रेमप्रकाश पुत्र श्री शिवजीराम जाति जाट निवासी जुसरी तहसील मकाराना जिला नागौर

2.विकास किरडोलिया पुत्र श्री पीरीरम किरडोलिया जाति जाट ठिकाना किराडोलियों की ढाणी मातासर रोड़ मकराना तहसील मकराना जिला नागौर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ द्वारा विविध प्रकरण संख्या 16 / 2012 बअनवान लीलाधर बनाम प्रेमप्रकाश वगैरा में पारित आदेश दिनांक 09.06.2016 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री मोहम्मद अली अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री धर्माराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 18.07.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे आवेदन अंतगर्त धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 सी पी सी इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि किशनलाल पुत्र श्री बालचंद के कोई जायन्दा औलाद नही होने से उनकी मृत्यु पश्चात उनकी तमाम सम्पति के मालिक उनके भाई श्री रामलाल व उनके पुत्र श्री सांगीदास एवं धनराज एवं उनके वारिसान हुए। किशनलाल की खातेदारी की भूमि समरी खसरा संख्या 98 वर्तमान खसरा संख्या 551, 553, 554, 556, 559 / 909 रकबा क्रमशः 28.12 बीघा, 10.01 बीघा, 14.06 बीघा, 10.02 बीघा, 09.00 बीघा व 01.12 बीघा कुल रकबा 73. 13 बीघा ग्राम भाडली में आयी हुई हैं। किशनलाल का देहान्त होने के पश्चात धनराज पुत्र रामलाल ने अपने आपको गलत रूप से श्री किशनलाल का अकेला वारिस बताकर उक्त भूमि का नामांतकरण अपने नाम चुपचाप दर्ज करवा दिया। तथा भू प्रबन्ध विभाग की पैमाईश संवत 2021–22 में होने पर धनराज पुत्र बनकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उक्त भूमि अपने नाम करवा दी। अपीलाधीन आराजी का धनराज के देहान्त सन 1981 के पश्चात उनके पुत्र भजनलाल व बृजमोहन की नियत में पाप आ गया और उन्होन वादग्रस्त संपूर्ण भूमि बिना कानूनन हक अधिकार के रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 को 73.13 बीघा संपूर्ण भूमि का बेचान कर दिया। अपीलांट के हिस्से की भूमि रकबा 36 बीघा 16–5 बिस्वा बेचान करने का कोई हक अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा पेश लिखित बहस को भी नजर अंदाज कर कैम्प लखा में आयोजित राजस्व लोक अदालत में एकतरफा निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। पत्रावली कैम्प में सुनवाई हेतु राजस्व लोक अदालत में नियत की गई इस बाबत अपीलांट को को सूचना एवं नोटिस नहीं दिया गया। लोक अदालत में मामले पक्षकारों की सहमति से निर्णित किये जा सकते है। अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि किशनलाल की खातेदारी की भूमि समरी खसरा संख्या 98 वर्तमान खसरा संख्या 551, 553, 554, 556, 559/909 रकबा क्रमशः 28.12 बीघा, 10.01 बीघा, 14.06 बीघा, 10.02 बीघा, 09.00 बीघा व 01.12 बीघा कुल रकबा 73.13 बीघा ग्राम भाडली में आयी हुई हैं। किसनलाल का देहान्त होने के पश्चात धनराज पुत्र रामलाल ने अपने आपको गलत रूप से श्री किशनलाल का अकेला वारिस बताकर उक्त भूमि का नामांतकरण अपने नाम चुपचाप दर्ज करवा दिया। तथा भू प्रबन्ध विभाग की पैमाईश संवत 2021–22 में होने पर धनराज पुत्र बनकर उक्त भूमि अपने नाम करवा दी। अपीलाधीन आराजी का धनराज के देहान्त सन 1981 के पश्चात उनके पुत्र भजनलाल व बृजमोहन की नियत में पाप आ गया और उन्होने वादग्रस्त संपूर्ण भूमि बिना कानूनन हक अधिकार के रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 को 73.13 बीघा संपूर्ण भूमि का बेचान कर दिया। अपीलांट के हिस्से की भूमि रकबा 36 बीघा 16–5 बिस्वा बेचान करने का कोई हक अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा पेश लिखित बहस को भी नजर अंदाज कर कैम्प लखा में आयोजित राजस्व लोक अदालत में एकतरफा निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। पत्रावली कैम्प में सुनवाई हेतु राजस्व लोक अदालत में नियत की गई इस बाबत अपीलांट को को सूचना एवं नोटिस नहीं दिया गया। लोक अदालत में मामले पक्षकारों की सहमति से निर्णित किये जा सकते है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर

अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि वक्त सेटलमेंट दर्ज खातेदार धनराज के फौत होने पर यह अपीलाधीन आराजी उनके पुत्र भजनलाल व बृजमोहन प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम दर्ज हुई जिन्होंने दिनांक 14.02.2012 को पंजीबद्ध पृथक–पृथक दो विक्रय दस्तावेजात से इस आराजी का बैचान उतरदाता संख्या 01 व 02 क्रमशः प्रेमप्रकाश व विकास के पक्ष में कर कब्जा सौप दिया। मौजूदा राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेंट खातेदार दर्ज है। राजस्व अभियान के दौरान कैम्प कोर्ट की तारीख पूर्व में तय होकर समाचार पत्रों के अलावा, पंचायत व पटवारी के स्तर से क्षैत्र में पूर्ण प्रचार–प्रसार कराया। अपीलांट का यह कथन कि कैम्प कोर्ट की उन्हे जानकारी नही थी, मानने योग्य नहीं है। अपीलाधीन आराजी के रेस्पोडेंटगण रेकर्डेड खातेदार है तथा विधि अनुसार इन परिस्थितियों में रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना न्यायोचित नहीं है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखत दृष्टांत पेश कियेः–

RRT 2012(2) Page 1439
RRT 2013(1) Page 123
RRT 2006-07(Supp.) Page 669 (निर्धारित, रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती–विवादित भूमि के सम्बन्ध में अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में तय होगा।)
RRT 2013(1) Page 133

अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का सिंहावलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करके पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली भी देखी। वक्त सेटलमेंट भूमि धनराज के नाम खातेदारी अंकित हुई अर्थात तत्समय वादग्रस्त आराजी का काबिज काश्त कृषक धनराज था। इस रूप में प्रथमदृष्टया यह भूमि, जब तक अन्यथा साबित नहीं कर दी जाती, धनराज की स्व–अर्जित संपति में शुमार है; जिसकी फौतगी पर उसके दो पुत्रों के नाम विरासतन दर्ज हुई। अपीलांट हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत पुश्तैनी भूमि करार देकर दावा लाए हैं परन्तु उनके हक–हकूक दावे में सबूतों पर तय होने हैं। राजस्व रिकॉर्ड अधिकार अभिलेख जमाबंदी के आधार पर क्रेतागण बाकायदा रजिस्टर्ड विक्रय–विलेख के जरिये कब्जाधारी बतौर खातेदार अंकित है। अपीलांटगण के पक्ष में राजस्व रिकॉर्ड की

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रविष्टियां नहीं है। विप्रार्थीगण(रिस्पोडेंट संख्या 01 व 02) की खातेदारी **रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र** से हासिल है और वह प्रभावी है, जब तक कि सक्षम सिविल न्यायालय उसे शून्य करार न दे दे। उपरोक्त विवेचन से मामला प्रथम दृष्टया; सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिंदु फिलहाल अपीलांटगण के पक्ष में नहीं है। विधि के सुस्थापित सिद्धांत एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाई गई है, अतः उसमें किसी प्रकार की दखलंदाजी करना न्यायसंगत नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ द्वारा विविध प्रकरण संख्या 16/2012 बअनवान लीलाधर बनाम प्रेमप्रकाश वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2016 को यथावत रखा जाता है।

18/7/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 18.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/7/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर